



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49325

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3369 वर्ष 2026

ओम प्रकाश

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : सिद्धार्थ सरन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सरन और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव को सुना।
2. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें पक्षकारों की श्रेणी में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
3. रिट याची का मामला यह है कि उसे वर्ष 2001 में डिप्टी जेलर (उप कारापाल) के रूप में नियुक्त किया गया था। रिट याची को 09.01.2017 से प्रथम ए. सी. पी. प्रदान किया गया था, यद्यपि वह 09.01.2011 से इसका हकदार था और वह द्वितीय ए. सी. पी. के लिए भी हकदार था, जिसे अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।
4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव निवेदन करते हैं कि रिट याची के दावे के लिए प्रथमतः प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याची को प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो उक्त प्रस्ताव पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से रिट याची के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।